



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167555

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27857 वर्ष 2026

मुलायम गोंड

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता	: अनुपम कुमार शुक्ला, राजकपूर उपाध्याय
प्रतिपक्ष के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए-1 डॉ. एस.बी. मोर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया में धारा 103(1), 61(1), 61(2), 191(2), 191(3), 190, 315, 351(3) एवं 3(5)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 152 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक को पांच अन्य व्यक्तियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किन्तु इससे स्पष्ट होता है कि मामले का सूचनाकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और उसने वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संदेह के आधार पर दर्ज कराई थी।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान विवेचक ने संजीव यादव नामक व्यक्ति का बयान दर्ज किया, जिसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया, किन्तु उसके बयान से यह परिलक्षित नहीं होता है कि आवेदक किसी भी प्रकार से वर्तमान अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस साक्षी के अनुसार सह-अभियुक्त निक्की मुख्य अभियुक्त था, जिसने आग्रेयास्त्र से चोट पहुंचाकर हत्या कारित की। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक की मृत्यु आग्रेयास्त्र से लगी चोटों के कारण हुई।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समस्त तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के पश्चात सह-अभियुक्त नवनाथ गोंड, जिसे आवेदक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था, को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.7.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उक्त जमानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ 94 पर संलग्न है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 24.4.2026 से अर्थात् पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का तीन अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, किन्तु उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उसका पूर्व आपराधिक इतिहास केवल एक मामले का है और सभी मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं।
8. वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत किए गए अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
10. यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किन्तु मामले का सूचनाकर्ता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। यह परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक ने संजीव यादव नामक एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान दर्ज किया और उसके अनुसार सह-अभियुक्त निक्की वह व्यक्ति था, जिसने आग्रेयास्त्र से चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या कारित की तथा शव परीक्षण रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक को केवल एक ही आग्रेयास्त्र की चोट लगी थी।
11. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त नवनाथ गोंड, जिसे आवेदक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।
12. इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का तीन अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, किन्तु उसका पूर्व आपराधिक इतिहास केवल एक मामले का था और पूर्व मामले सहित सभी मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं।
13. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 24.4.2026 से अर्थात् पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

16. आवेदक-**मुलायम गोंड** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति समीर जैन)

11 अगस्त, 2026

एसकेएम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”